न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/145/2018	26–07–2018	13.07.2023

01– नेतराम पुत्र कन्नी राम जाति गुर्जर
02– नन्नू पुत्र भौरेलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम डोली तहसील रामगढ जिला अलवर (राजस्थान)

–अपीलाण्ट्स

बनाम

01– श्रीमती माया देवी पत्नि कन्हैयालाल जाति खटीक निवासी रामगढ जिला अलवर (राजस्थान)

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ दिनांक 07.11.2017 धारा अन्तर्गत 183 बी आर. टी.एक्ट के तहत प्रकरण संख्या 03/2017

उपस्थितः–
01–श्री कमल सिंह पोसवाल –वकील अपीलाण्ट
02–श्री हंसराज रासपुरिया –वकील रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 07.11.2017 प्रकरण संख्या 03/2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व वर्णित आराजी से बेदखल करने व रेस्पोडेन्ट का कब्जा सम्भलवाने/शास्ती मांग कायमी से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है कि रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट के विरूद्व तहत अदालत के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी राजस्थान काश्तकरी अधिनियम के तहत इस आश्य का पेश किया गया है कि प्रार्थीया अनुसूचित जाति की महिला है। प्रार्थीया की खातेदारी की आराजी खसरा न0 199 रकबा 0.19 है0 ग्राम डोली तहसील रामगढ में स्थित है। जिसका राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थीया के हक में दर्ज है, प्रार्थीया की उक्त खातेदारी आराजी पर नेतराम पुत्र कन्नीराम गुर्जर, नन्नू पुत्र भौरेलाल गुर्जर व प्रेम पुत्र घीसा जाट निवासी डोली तहसील रामगढ ने नाजायज कब्जा कर रखा है, फसल काश्त कर रहे है तथा प्रार्थीया को उक्त आराजी को जोतने बोने नहीं देते है व मारने की धमकी देते है एवं अपशब्दो का प्रयोग करते है। जिस पर तहत अदालत के द्वारा आलोच्य आदेश दिनाक 07.11.2017 के द्वारा बेजा तौर पर विधि विरूद्व, मौके व कब्जे के खिलाफ अपीलान्ट/अप्रार्थीगण को बेदखल करने एंव

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

प्रार्थीया/रेस्पोडेन्ट को कब्जा सम्भलवाने के आदेश पारित किये गये है। विवादित आराजी खसरा न0 199 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम डोली तहसील रामगढ में स्थित है, जिसके बाबत प्रार्थीया/ रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट/अप्रार्थीगण के खिलाफ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तहत अदालत में पेश किया है, वह गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया गया है। विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है, बल्कि उक्त आराजी पर सुगन, रामस्वरूप पुत्रान केवल जाट एवं दयाराम, श्रीराम पुत्रान शिवलाल जाट निवासी डोली तहसील रामगढ का ही कब्जा काश्त उनके बुजुर्गो के समय से चला आ रहा है और आज भी उनका कब्जा काश्त है। पटवारी हल्का ने विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा होना मौके के खिलाफ गलत बताया है, जिस पर तहत अदालत ने भी बिना स्वयं मौका निरीक्षण किये और बिना प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट से मौखिक साक्ष्य लिये ही आलोच्य निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट दिनाक 21.06.2018 को पटवारी हल्का के पास स्वंय की खातेदारी आराजी की जमाबन्दी की नकल लेने गया तो पटवारी हल्का ने बताया कि तुम्हारे खिलाफ माया देवी के प्रार्थना–पत्र पर पेनेल्टी लगायी गयी है और तुम्हे बेदखल करने का आदेश जारी किया गया है। जिस पर अपीलान्ट ने उसी दिन तहसील कार्यालय में जानकारी की तो मालूम हुआ जिसकी नकल के लिये दिनाक 21.06.2018 को आवेदन पेश किया गया जिस पर दिनाक 25.06.2018 को नकल प्राप्त हुयी। जिस पर सलाह–मशवरा कर बिना देरी किये पारित निर्णय की जानकारी दिनाक 21.06.2018 से अपील अपील अन्दर अवधि पेश है, दिनाक 07.11.2017 से दिनाक 21.06.2018 तक का जो समय व्यतीत हुआ है, वह उक्त प्रकार से अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी नहीं होने के कारण व्यतीत हुआ है। जो नेकनियती वो युक्तियुक्त कारण पर आधारित होने से काबिल माफी तथा मियाद में मुजरा दिये जाने योग्य है। इस हेतु प्रार्थना–पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का पेश है, अपील अपीलान्ट अन्दर अवधि मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 07.11.2017 निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुए निवेदन किया है कि अपील में वर्णित आराजी खसरा न0 199/0.19 है0 रैस्पो0 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जिस पर अपीलान्ट्स का कब्जा काश्त है, जिनके विरूद्व प्रार्थीया के द्वारा तहत अदालत के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी राजस्थान काश्तकरी अधिनियम के तहत पेश किया गया। जिस पर तहत अदालत द्वारा प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीयान को तलब किया जाकर विधिवत निर्णय पारित कर प्रार्थीया के पक्ष में दिनाक 07.11.2017 निर्णय पारित कर प्रार्थीया श्रीमती मायादेवी पत्नि कन्हैयालाल जाति खटिक निवासी रामगढ की आराजी खसरा न0 199/0.19 है0 भूमि से अप्रार्थीगण को बैदखल कर प्रार्थनी को कब्जा सुपुर्द कर भूमि पर अवैध कब्जे का जुर्माना शास्ती आरोपित की गयी है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 07.11.2017 विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.11.2017 के विरूद्व अपील दिनाक 26.07.2018 को पेश की गयी है, जो 8 माह पश्चात पेश की गयी है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.11.2017 की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 21.06.2018 को होना अंकित किया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलाण्टान अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि तहत अदालत के द्वारा आलोच्य आदेश दिनाक 07.11.2017 के द्वारा बेजा तौर पर विधि विरूद्व, मौके व कब्जे के खिलाफ

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

अपीलान्ट/अप्रार्थीगण को बेदखल करने एंव प्रार्थीया/रेस्पोडेन्ट को कब्जा सम्भलवाने के आदेश पारित किये गये है। प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तहत अदालत में पेश किया है। वह गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया गया है। विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है, बल्कि उक्त आराजी पर सुगन, रामस्वरूप पुत्रान केवल जाट एवं दयाराम, श्रीराम पुत्रान शिवलाल जाट निवासी डोली तहसील रामगढ का ही कब्जा काश्त उनके बुजुर्गो के समय से चला आ रहा है और आज भी उनका कब्जा काश्त है। वकील अपीलांट्स द्वारा उक्त कथन की पुष्टि में कोई वैधानिक साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किये है। तहत अदालत की पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 14.09.2017 के अनुसार रैस्पो0 की खातेदारी आराजी पर अपीलांट्स का कब्जा होना जहिर किया गया है। रैस्पो0 की खातेदारी की आराजी पर अवैध कब्जा किये जाने पर तहसीलदार रामगढ़ के समक्ष प्रा0पत्र धारा 183 बी आरटीएक्ट के तहत पेश किया गया। जिस पर अपीलांट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलांट्स तहत अदालत के समक्ष बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। यदि अपीलांट्स को उक्त नोटिस के जवाब में कोई उज्र होता तो वह तहत अदालत के समक्ष उपस्थित होकर पेश करते। इसलिए तहत अदालत द्वारा अपीलांट्स विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करते हुए विधिवत् निर्णय दिनांक 07.011.2017 को पारित किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय उचित प्रतीत होता है। अपील अपीलांट्स खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 07.11.2017 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ वापस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

(उत्तम सिंह शेखावत)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)